भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2434

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रधानमंत्री युवा उद्यमशीलता विकास अभियान का कार्यान्वयन

2434. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में प्रधानमंत्री युवा उद्यमशीलता विकास अभियान (पीएम-युवा) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लाभार्थियों और उद्यमियों को सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) पीएम-युवा के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना बजट आवंटित हुआ है और कितना उपयोग किया गया है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए उद्यमशीलता कौशल और प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने पीएम-युवा का उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने वधवानी ऑपरेटिंग फाउंडेशन (डब्ल्यूओएफ) के सहयोग से 9 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री युवा उद्यमशीलता विकास अभियान (पीएम-युवा) शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमशीलता शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना था। इसे उच्च शिक्षा संस्थानों (कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक) में लागू किया गया। कुल 239 उच्च शिक्षा संस्थान 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूचीबद्ध किए गए थे। हालांकि, जून 2018 में योजना का पुनर्गठन किया गया और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत आने वाले कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) और पॉलिटेक्निक को भी इसमें शामिल किया गया। प्रथम चरण में पीएम-युवा के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, (निस्बड), मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और इसे कौशल इको-सिस्टम तंत्र के अंतर्गत लगभग 300 संस्थानों में चलाया गया। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य उद्यमशीलता को एक वैकल्पिक करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देना और कौशल इको-सिस्टम से जुड़े संभावित और प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना था। यह परियोजना दस राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों (असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पुदुचेरी) में कार्यान्वित की गई।

पीएम-युवा फेज-II के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध II** में दी गई है।

प्रथम पीएम-युवा योजना के लिए आवंटित 499.9 करोड़ रुपये के मुकाबले 6 करोड़ रुपये खर्च किए गए और द्वितीय पीएम-युवा योजना के लिए आवंटित 12 करोड़ रुपये के मुकाबले 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

पीएम-युवा योजना के तहत, परियोजना में शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्यमशीलता शिक्षा, क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने के लिए एक संरचित ढांचा लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए उद्यमशीलता कौशल और प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल थे:

i. **उद्यमशीलता जागरूकता और एकजुटता:** प्रधानाचार्यों, छात्रों और समुदाय के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ताकि उद्यमशीलता को एक व्यवहार्य करियर मार्ग के रूप में समझा जा सके और हितधारकों को अवसरों, योजनाओं और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूक किया जा सके।

ii. **उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण:** कौशलीकरण विकास संस्थानों के भीतर संरचित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) का संचालन, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं को अवसर पहचान, व्यवसाय योजना, वित्तीय साक्षरता, बाजार मूल्यांकन, नियामक अनुपालन और उद्यम प्रबंधन जैसी दक्षताओं से सुसज्जित करना है।

iii. **प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) और संकाय सलाहकार (मेंटर) प्रशिक्षण:** उद्यमशीलता पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए संस्थागत संकाय की क्षमता निर्माण, जिसमें शिक्षण पद्धति, सुविधा प्रदान करने के कौशल, व्यावसायिक विचारों का मूल्यांकन और सलाह देने की तकनीक शामिल है।

iv. **मार्गदर्शन और सहायता:** भावी और मौजूदा उद्यमियों को व्यावसायिक योजनाओं को परिष्कृत करने, बाजार संबंधों को समझने, ऋण प्राप्त करने और प्रारंभिक चरण के उद्यम संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में सहायता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन शिविरों का आयोजन करना और नि:शुल्क मार्गदर्शन प्रदान करना।

v. **अवसर, आयोजन और मान्यता:** छात्रों और प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता इको -सिस्टम, सहकर्मी नेटवर्क और आदर्शों से परिचित कराने के लिए उद्यमशीलता से संबंधित आयोजनों, प्रतियोगिताओं और पुरस्कार मंचों का आयोजन किया गया।

इन उपायों के माध्यम से, योजना ने परियोजना राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए जागरूकता, शिक्षा, क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन और उद्यम सहायता सहित संपूर्ण उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया।

(ड.) मंत्रालय ने पीएम-युवा चरण-1 और पीएम-युवा चरण-11 दोनों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के निष्कर्षों से पता चला है कि चरण-1 रोजगार सृजन और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने में सफल रहा। इच्छुक उद्यमियों ने सलाहकारों, सरकारी पदाधिकारियों और निवेशकों के साथ सफलतापूर्वक नेटवर्क स्थापित किए। चरण-1 के तहत, योजना ने वित्तीय मुख्यधाराकरण और दस्तावेज़ीकरण में सहायता प्रदान करके असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को लाभान्वित किया। योजना में 600 नए और 1000 विस्तारित उद्यमों के सृजन की परिकल्पना की गई थी, जिसके तहत 1045 नए उद्यम स्थापित किए गए और 968 मौजूदा उद्यमों का विस्तार किया गया।

अनुबंध ।

“पीएम-युवा के कार्यान्वयन” के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2434 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

चरण-I में पीएम -युवा के ज़रिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसार पहुंचने वाले लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नामांकित छात्रों की संख्या	छात्र जिन्होंने अंतिम मूल्यांकन का प्रयास किया	छात्र जिन्होंने अंतिम मूल्यांकन उत्तीर्ण किया
1	आंध्र प्रदेश	295	124	116
2	अरुणाचल प्रदेश	36	14	12
3	असम	440	150	91
4	दिल्ली	1920	829	655
5	गुजरात	9	1	0
6	हरियाणा	563	473	382
7	हिमाचल प्रदेश	285	42	34
8	जम्मू और कश्मीर	58	0	0
9	झारखंड	35	11	4
10	कर्नाटक	636	299	260
11	केरल	2128	1382	1232
12	मध्य प्रदेश	1357	1158	974
13	महाराष्ट्र	1134	527	329
14	मेघालय	64	26	18
15	नागालैंड	37	0	0
16	ओडिशा	359	79	72
17	पांडिचेरी	246	173	154
18	पंजाब	791	490	412
19	राजस्थान	1050	620	493
20	तमिलनाडु	2874	1432	1084
21	तेलंगाना	1345	551	430
22	उत्तर प्रदेश	773	275	200
23	पश्चिम बंगाल	974	527	440
	कुल	**17,409**	**9,183**	**7,392**

अनुबंध II

चरण-11 में पीएम-युवा के ज़रिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पहुंचने वाले लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	प्रधानाचार्यों का अभिविन्यास	विद्यार्थी अभिविन्यास	सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम	प्रतिभागियों की संख्या			
				प्रमाणित ईडीपी	टीओटी	संकाय मेंटर प्रशिक्षण	मेंटरिंग कैंप
असम	33	1626	480	1531	46	0	330
बिहार	35	3022	234	1056	38	28	290
दिल्ली	27	1883	401	686	20	20	236
केरल	34	5018	1163	1607	61	25	573
महाराष्ट्र	51	4827	675	999	47	18	500
तमिलनाडु	39	3187	70	566	73	23	733
तेलंगाना	63	5044	291	1918	0	27	371
उत्तराखंड	40	2461	498	656	26	21	300
उत्तर प्रदेश	32	3567	667	2313	59	42	310
पश्चिम बंगाल	42	4125	524	1870	73	23	308
कुल	**396**	**34760**	**5003**	**13202**	**443**	**227**	**3951**

*****